

उपर्युक्त प्रतीकों ने मेरे सम्मक्ष उपास्थान हाकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं उक्त दुरस्ती का करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः शिथिलीय गैर सुधार की संज्ञा में आती है। अतः इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्राथमिकता न प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज				स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	शत्रेन्द्रसिंह पुत्र केशसिंह कौम रत्नपूत शा. देह खातेदार शेष जमा. बदमूर	34 35 36 31 37	0.02 0.03 1.14 0.13 0.12	शत्रेन्द्रसिंह पुत्र शकुनाथसिंह कौम रत्नपूत शा. देह खातेदार शेष जमा. बदमूर	34 35 36 31 37	0.02 0.03 1.14 0.13 0.12
2.	शत्रेन्द्रसिंह पुत्र केशवीरसिंह कौम रत्नपूत शत्रेन्द्रसिंह पुत्र केशसिंह कौम रत्नपूत शा. देह खातेदार शेष जमा. बदमूर	512	2.49	शत्रेन्द्रसिंह पुत्र शकुनाथसिंह कौम रत्नपूत शत्रेन्द्रसिंह पुत्र शकुनाथसिंह कौम रत्नपूत शा. देह खातेदार शेष जमा. बदमूर	512	2.49

क्रमांक : 690

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. तहसीलदार डीडवाना।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना (मागौर)
दिनांक : 6/11/19

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

दिनांक :

क्रमांक :

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवारी हल्काको भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार डीडवाना

Scanned by CamScanner

